जस्टिस जसबीर सिंह और जस्टिस रामेश्वर सिंह मलिक के सामने

गुलाब सिंह-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य-उत्तरदाता

2007 का सीआरए नंबर 18-डीबी

26 नवंबर, 2012

भारतीय वृक्क संहिता, 1860-Ss.302 & 304-भाग-I-अचानक लड़ाई-चबाने वाले तंबाकू की खरीद पर विवाद हुआ-अपीलार्थी को निचली अदालत द्वारा यू/एस 302 आई पी सी दोषी ठहराया गया-झूठ ने सब्जियों को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू से मृतक की जांघ पर दो चाकू से वार किया-मृतक की मृत्यु रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई - धारा 302 आईपीसी से 304 भाग-1, आईपीसी-आयोजित-कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी-शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर चोटें नहीं थीं-अपीलार्थी ने अनुचित लाभ उठाए बिना पूर्व-चिंतन के बिना और जुनून की गर्मी में चोटें पहुंचाईं-क्या वह उसे धारा 302 आईपीसी के दायरे में कह सकता है-अपील आंशिक रूप से अनुमत है

अभिनिर्धारित किया गया कि इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामला पी. सी. की धारा 304 भाग । के अधीन आएगा। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि मामला आई. आई. पी. सी. की धारा 304 भाग के अधीन आता है, मृत्यु अपीलार्थी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी में उल्लिखित परिस्थितियों में से किसी के कारण हुई होगी।

Para 18

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यहां यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण भाग पर चोट नहीं पहुंचाई। दोनों चोटें मृतक की जांघ पर लगी थीं, जिसे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। मृत्यु का कारण रक्तस्राव और

सदमा भी पाया गया जो बाईं फिम्यूरल धमनी के कटने और फिम्यूरल व्यर्थ होने का परिणाम था। पूर्वगामी चर्चाओं के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है कि चूंकि अपीलार्थी ने पूर्व-ध्यान किए बिना, बिना किसी अनुचित लाभ उठाए अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में मृतक को चोट पहुंचाई, और न ही उसने क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया, वर्तमान मामले को किसी भी परिस्थिति में आईपीसी की धारा 302 के दायरे में नहीं कहा जा सकता है para 20

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामले के इस दृष्टिकोण में, हम इस पर विचार करते हैं कि यह मामला धारा 3001 पी. सी. के अपवाद 4 के तहत आएगा क्योंकि यह घटना अचानक झगड़े के कारण जुनून की गर्मी में हुई थी। इसलिए, वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, अभियुक्त/अभियुक्त गुलाब सिंह को आईपीसी की धारा 304 भाग-I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। para 16

पवन गिरधर, अपीलार्थी के वकील।

क्षितिज शन्ना, सहायक ए. जी., हरियाणा।

निर्णय

जस्टिस रामेश्वर सिंह मलिक,

1. तत्काल अपील विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित 3/3/2006 की सम तिथि के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध निर्देशित की जाती है, जिससे अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा दी जाती है।
2. पहले तथ्य। एफ. आई. आर. एक्स. पी. ई. को पढ़ने से अभियोजन पक्ष की आसानी का पता चला कि देसराज-पी. डब्ल्यू. 2 ने अपना बयान इस तरह दर्ज कराया कि उसके तीन बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे राम कुमार थे, उनसे छोटे राज एंडेर कुमार थे और सबसे छोटे जी टेंडर कुमार थे। राजेंद्र कुमार-मृतक नलवा कॉलोनी में एक कार्याना की दुकान चला रहा था। वह पिछले कई दिनों से

अपने बेटे राजेंद्र कुमार के साथ रह रहे थे। घटना की तारीख को शाम करीब 5:00 बजे उनके बेटे राम कुमार और भतीजे वीर भान नलवा कॉलोनी में उनसे मिलने आए थे। वे चाय पी रहे थे। यह लगभग 5:30 बजे था, उन्होंने अपने बेटे राजेंद्र कुमार का रोना सुना कि 'मार दिया मार दिया'। यह सुनकर, वे तीनों घर से बाहर आए और देखा कि अपीलकर्ता गुलाब सिंह के हाथ में चाकू (सब्जियां काटने के लिए) था। उन्हें देखकर उसने मृतक राजिंदर कुमार की जांघ पर दो चाकू मारे। उन्होंने 'पकरोपकरा' का अलार्म बजाया(catch-catch).इसके बाद गुलाब सिंह चाकू लेकर भाग गया। उनका बेटा वहीं गिर गया। भारी मात्रा में खून बह रहा था। उनके बेटे राजेंद्र कुमार ने उन्हें बताया कि गुलाब सिंह द्वारा राजेंद्र कुमार-मृतक की दुकान से गुटका (चबाने वाला तंबाकू) खरीदने के मुद्दे पर उनके और गुलाब सिंह के बीच कुछ बहस हुई थी, जो इसकी कीमत नहीं दे रहे थे। अपीलार्थी गुलाब सिंह ने राजेंद्र कुमार पर चाकू से दो वार किए। इस बीच, शोर सुनकर कश्मीरी का बेटा सोनू मौके पर आ जाता है। इसके बाद, वे राजेंद्र कुमार को इलाज के लिए सिविल अस्पताल, पानीपत ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बयान दर्ज किया गया, जिसे देसराज-पीडब्लू2 को पढ़ा गया, जिन्होंने इसे स्वीकार किया और अपने हस्ताक्षर किए।

3. ऊपर उल्लिखित शिकायतकर्ता का बयान चंदूई बाग पुलिस स्टेशन के तारा चंद-एएसआई द्वारा एक्स पीबी के रूप में दर्ज किया गया था। तारा चंद-ए. एस. एल. ने उस पर पूर्व पी. बी.-2 के रूप में अपना समर्थन दर्ज किया कि प्रभारी पुलिस चौकी, बस स्टैंड, पानीपत से एक वी. टी. संदेश प्राप्त हुआ था कि झगड़े में घायल देसराज के बेटे राजेंद्र कुमार को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पानीपत, जिसका शव अस्पताल में था और आई. ओ. को कार्यवाही के लिए भेजा जाए। इस संदेश को प्राप्त करना। ASI तारा चंद एचसी निशावसर सिंह-31, कांस्टेबल राम किशन नंबर 329 के साथ पुलिस पोस्ट बस स्टैंड से डॉक्टर का रुका लेने के बाद पानीपत के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां देसराज मिले और अपना बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज किया गया और शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने इसे सही स्वीकार करने के बाद, हिंदी में अपने बयान के नीचे अपने हस्ताक्षर किए, जिसे तारा चंद-एएसएल द्वारा सत्यापित किया गया था। डॉक्टर के बयान और रुका से आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पाया गया। कांस्टेबल राम किशन नंबर 329 के माध्यम से सीसीसीएस के पंजीकरण के लिए पुलिस स्टेशन को एक लिखित पत्र भेजा गया था। यह अनुरोध किया गया था कि मामला दर्ज होने के बाद इसके नंबर की सूचना दी जाए। उच्च अधिकारियों को विशेष रिपोर्ट भेजी जाए। एसएचओ को भी सूचित किया जाए। उन्होंने हेड कांस्टेबल और शिकायतकर्ता की मदद से मौके पर जांच शुरू की।

उपर्युक्त संचार के आधार पर, डीडी नंबर 36 दिनांक 29/9/2004 को 10 p.m. पर दर्ज किया गया था। तदनुसार, एएसआई कृष्ण चंदकर, पुलिस स्टेशन चांदनी बाग द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर संख्या 374 दिनांक 29/9/2004 दर्ज की गई।

4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, जांच पीडब्लू-10एएसआई ताराचंद द्वारा की गई थी। हालांकि, 30/9/2004 को, जांच पीडब्लू 11, इंस्पेक्टर आजाद सिंह द्वारा संभाली गई थी। उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। मृतक के एक रिश्तेदार राज ए राम की उपस्थिति में उन्हें एक खुलासा बयान एक्स पीक्यू का सामना करना पड़ा। अभियुक्त ने खुलासा किया कि उसने नैवा कॉलोनी में स्थित अपनी सास के घर के पास एक चाकू छिपा कर रखा था। उसने खुलासा की गई जगह से चाकू बरामद करने की पेशकश की। चाकू को कब्जे में ले लिया गया, रिकवरी मेमो एक्स पीक्यू/1 के माध्यम से। चाकू का रेखाचित्र पूर्व पीक्यू/2 के रूप में तैयार किया गया था। पुनर्प्राप्ति के स्थान की रफ साइट योजना पूर्व पीक्यू/3 के रूप में तैयार की गई थी। जांच पूरी होने पर, अंतिम रिपोर्ट उनके द्वारा 19/10/2004 को तैयार की गई थी। तदनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 173 के तहत रिपोर्ट सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत को प्रस्तुत की गई थी।
5. कानून के अनुसार अभियुक्त को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए। अपराध को विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य पाए जाने के बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को उसके परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया। प्रथम दृष्टया मामला बनने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया गया। अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।
6. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अलावा 12 पीडब्ल्यू की जांच की। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद, आरोपी का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। अभिलेख पर लाई गई सभी आपत्तिजनक सामग्री को अभियुक्त के सामने रखा गया। उन्होंने झूठे निहितार्थ का आरोप लगाया और खुद को निर्दोष होने का दावा किया। हालांकि, उन्होंने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।
7. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के अवलोकन पर पक्षपाती विचारण न्यायालय ने दिनांक 3/3/2006 के अपने दोषसिद्धि के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को संदेह की उचित छाया से परे सिद्ध कर दिया है। अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध और भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा

25 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था। नतीजतन, दिनांक 3/3/2006 के सजा के आदेश के अनुसार, दोषी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के लिए एक साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि, दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था

8. दोषसिद्धि और सजा के आदेश के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने तत्काल अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस प्रकार, यह न्यायालय मामले को अपने हाथ में लेता है।

9. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि वर्तमान मामले में उद्देश्य स्पष्ट रूप से गायब था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक और लंबी देरी हुई थी, जो अस्पष्ट रही। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि राजा राम, जो शिकायतकर्ता देस राज का रिश्तेदार और खुलासा बयान के साथ-साथ वसूली का गवाह होने का दावा करता है, को गवाह बॉक्स में पेश नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी में गंभीर संदेह पैदा होता है। उन्होंने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि घटना पल भर में हुई थी और अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि हत्या करने का इरादा गायब था, जिसके कारण मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत नहीं बल्कि केवल आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आता है और आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि कानून में टिकाऊ नहीं थी। वह अपील को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करता है।

10. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की श्रृंखला पूरी कर ली है, ताकि अपीलार्थी के खिलाफ अपराध को घर लाया जा सके। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कुछ मामूली विसंगतियों को छोड़कर, जो स्वाभाविक हैं और आसानी की जड़ तक नहीं जाती हैं, अभियोजन पक्ष के मामले में कोई गंभीर कमी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि पीडब्लू के बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद थे, इसलिए अपील में कोई सार नहीं था और इसे खारिज किया जा सकता था।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वत वकील को सुना है, मामले के अभिलेख को सावधानीपूर्वक देखने पर और दोनों पक्षों की ओर से उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम था, फिर भी आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और संबंधित

सजा की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 304-भाग I के दायरे में आता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा कहने के लिए, एक से अधिक कारण हैं, जिन्हें इसके बाद दर्ज किया जा रहा है।

12. यह स्वयं अभियोजन का मामला है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी। अपीलार्थी के खिलाफ यह आरोप है कि वह मृतक की दुकान पर गुटका खरीदने गया था। जब मृतक ने अपीलार्थी से गुटखे की कीमत मांगी, तो उनके बीच बहस हो गई। इस प्रकार, क्षण भर में, अपीलार्थी ने मृतक की जांघ पर दो चाकू मारे। जांघ, जैसे, शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। डॉक्टर बजिंदर सिंह-पीडब्लूएल 2 के बयान के अनुसार, मृत्यु का कारण रक्तस्राव और बाईं फीमरल धमनी के काटने और फीमरल व्यर्थ होने के कारण सदमे के कारण था।

13. जहाँ तक एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी का सवाल है, यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं था। घटना शाम 5:30 बजे हुई, जबकि एफआईआर रात 10:00 बजे दर्ज की गई। एफआईआर के लेखक से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह पहले घायल को अस्पताल ले जाने का प्रयास करने के बजाय मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा। शिकायतकर्ता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य घायल व्यक्ति के जीवन को बचाना होना चाहिए। वर्तमान मामले में, सबसे पहले तो शायद ही कोई देरी हुई हो, 5 घंटे की छोटी सी अवधि के भीतर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा, देरी, यदि कोई हो, को ठीक से समझाया गया है।

14. इसके अलावा, प्रत्येक स्थिति में केवल विलंब को अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में कोई सीधा जैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति पर निर्भर करेगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच महसूस नहीं करता है कि विलंब, यदि कोई हो, तो विधिवत समझाया गया है और इसे अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं ठहराया जा सकता है।

15. अपीलार्थी की ओर से उठाया गया अगला तर्क कि पीडब्लू के बयान विश्वसनीय नहीं थे, भी बिना किसी बल के है। गवाहों ने स्वाभाविक तरीके से अदालत के समक्ष गवाही दी है। अभियोजन पक्ष ने घटना से लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दाखिल करने तक घटनाओं की श्रृंखला को विधिवत साबित किया है, जिससे अपीलार्थी को अपराध से जोड़ा जा सकता है। गवाहों से लंबी जिरह कराई गई, लेकिन उनसे कुछ भी ठोस निष्कर्ष नहीं

निकला, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी में कोई कमी आए। इस प्रकार, यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने प्रतिपरीक्षा के तेजाब परीक्षण में सफलतापूर्वक भाग लिया है।

16. एक प्रभावी जाँच की गई। जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के मामले की विधिवत पुष्टि की है, इसके अलावा, एक स्वतंत्र गवाह सोनू पीडब्लू4 से भी पूछताछ की गई थी। उन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण का भी समर्थन किया है। अपराध के चाकू-हथियार की बरामदगी भी विधिवत साबित हुई है।

17. यह हमें अपीलार्थी के विद्वत वकील के अगले तर्क पर लाता है कि चूंकि घटना एक तुच्छ मुद्दे पर पल भर में हुई थी और अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट नहीं पहुंचाई थी, इसलिए वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 302 के दायरे में नहीं आएगा और यह आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आएगा। इस न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान वकील के इस तर्क में कुछ बल पाया है। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का गंभीर विश्लेषण करने के बाद, इस अदालत का विचार है कि वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत नहीं आएगा, लेकिन यह भी आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत नहीं आएगा, जैसा कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

18. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन आएगा। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के अधीन आता है, मृत्यु अपीलार्थी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों में से किसी में उल्लिखित परिस्थितियों में से किसी के कारण हुई होगी।

19. अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की बारीकी से जांच के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 302 के दायरे में नहीं आएगा। कारण सरल लेकिन मजबूत है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी, न ही यह अभियोजन पक्ष का मामला है। इस प्रकार, अपीलार्थी के पास हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा, यह घटना एक तुच्छ मुद्दे पर हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी द्वारा मृतक की दुकान से खरीदे गए गुटका (चबाने वाले तंबाकू) की कीमत के रूप में मामूली राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

20. यहां यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट नहीं पहुंचाई थी। दोनों चोटें मृतक की जांघ पर लगी थीं, जिसे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। मृत्यु का कारण रक्तस्राव और सदमा भी पाया गया जो बाईं फिम्पूरल धमनी

के काटने और फिम्यूरल व्यर्थ होने का परिणाम था। पूर्वगामी चर्चाओं के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है कि चूंकि अपीलार्थी ने पूर्व-ध्यान किए बिना, बिना किसी अनुचित लाभ उठाए अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में मृतक को चोट पहुंचाई, और न ही उसने क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया, वर्तमान मामले को किसी भी परिस्थिति में आईपीसी की धारा 302 के दायरे में नहीं कहा जा सकता है।

21. (21) मामले के इस दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तत्काल मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद-4 के दायरे में आएगा, जो निम्नानुसार हैः

हत्याः-इसके बाद के मामलों को छोड़कर, गैर-इरादतन हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु के इरादे से किया गया है, या

अपवाद

दंडनीय नरहत्या हत्या नहीं है यदि यह बिना पूर्व-चिंतन के अचानक झगड़े में अचानक लड़ाई में किया जाता है और अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया है।

स्पष्टीकरणः ऐसे मामलों में यह मायने नहीं रखता कि कौन सा पक्ष उकसाने की पेशकश करता है या पहला हमला करता है।

22. आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, ऐसे मामलों में यह मायने नहीं रखता कि कौन सा पक्ष उकसाने की पेशकश करता है या पहला हमला करता है। आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता के लिए, घटना के दौरान हुई चोटों की संख्या एक निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन घटना अपने आप में अचानक होनी चाहिए और पूर्व नियोजित नहीं होनी चाहिए, जबकि अपराधी ने गुस्से में काम किया था। बेशक, वह किसी भी अनुचित लाभ लेने या क्रूर तरीके से कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वर्तमान मामले में, यह सामान्य झगड़ों में से एक है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक को मारने का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया, लेकिन बिना किसी पूर्व-चिंतन के और जुनून की गर्मी में।

23. पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु द्वारा मुथु बनाम राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत व्यक्त कियाः –

अदालत ने कहा, "हालांकि, जब हथियार शुरू में (आरोपी के हाथ में नहीं था, लेकिन विवाद के दौरान मौके से उठाया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला है, बल्कि यह केवल गैर इरादतन हत्या का मामला है जो आईपीसी की धारा 304 के तहत आता है और आईपीसी की धारा 302 के तहत नहीं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्षण की गर्मी या क्रोध की स्थिति में भी किसी को किसी पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि मनुष्य जानवरों से अलग हैं क्योंकि उनमें आत्म-नियंत्रण की शक्ति है। फिर भी, तथ्य यह है कि क्षण की गर्मी में और गुस्से में लोग कभी-कभी ऐसे कार्य करते हैं जो शायद पूर्व-चिंतन के बाद नहीं किए गए हों। इसलिए कानून में प्रावधान है कि जो लोग क्षण की गर्मी में या गुस्से में काम करते हैं, उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी सजा (पूर्व नियोजित अपराधों की टोपी) से कम होनी चाहिए। इसी कारण से आई. पी. सी. की धारा 300 में अपवाद । और 4 जोड़े गए हैं।

हम आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 का भी उल्लेख कर सकते हैं जो निम्नानुसार हैः

अपवाद 4. - दंडनीय हत्या हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना किया गया है और अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया है।

धारा 300 के लिए अपवाद जे और अपवाद 4 के बीच के अंतर को इस न्यायालय द्वारा पप्पु बनाम एमपी राज्य 2006 (7) एससीसी 39जे में समझाया गया है। हमारी राय में, वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत भी आता है क्योंकि अपवाद 4 के सभी तत्व वर्तमान मामले के तथ्यों से संतुष्ट हैं।

हमारी राय में, किसी के घर या दुकान के अंदर कचरा और कचरा फेंकना निश्चित रूप से एक गंभीर और अचानक उकसावा है। हर कोई अपने परिसर को साफ-सुथरा रखना चाहता है, और ऐसी स्थिति में अपना आत्म-नियंत्रण खोने की संभावना है। विचाराधीन इली घटना अचानक लड़ाई और अचानक झगड़े से जुनून की गर्मी में हुई, जिसमें अपीलार्थी ने अनुचित लाभ उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया। अतः अपीलार्थी अपवाद । और 4 के लाभ का हकदार है और मामला आईपीसी की धारा 304 के तहत आता है।

24. इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पी देशमुख बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में की गई टिप्पणियां जो उपयुक्त रूप से लागू होती हैं और वर्तमान मामले में लाभकारी रूप से पालन की जा सकती हैं, निम्नानुसार हैं –

"आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि यह कार्य बिना पूर्व-चिंतन के किया गया था, अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया और क्रूरता या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया।

आई. पी. सी. की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कार्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन (एसआईसी उकसावे) के एक मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वधारणा का अभाव है। जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का कुल अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों के शांत कारणों को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 4 में उत्तेजना है जैसा कि अपवाद 1 में हैः जो चोट लगी है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें एक झटका लगने के बावजूद, या विवाद की उत्पत्ति में दिए गए कुछ उकसावे या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो सकता है, फिर भी दोनों संसदों के बाद के आचरण ने उन्हें अपराध के संबंध में समान आधार पर रखा है। एक 'अचानक लड़ाई' आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मार-पीट को दर्शाती है। तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, और न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने अपने स्वयं के आचरण से इसे नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। इसके बाद आपसी उकसावे और आक्रोश होता है, और दोष के उस हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है जो प्रत्येक योद्धा से जुड़ा होता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) पूर्वकल्पना के बिना, (ख) अचानक लड़ाई में होती हैः (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना, या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। अपवाद 4 के भीतर एक मामले को लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को

पाया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली लड़ाई को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने में दो लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण संसद ने खुद को क्रोधित कर लिया था। लड़ाई दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक है!y प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अनुचित लाभ'। इन पहलुओं को धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (2003) 9 SCC 322, प्रकाश चंद बनाम राज्य ofH.P (2004) II SCC 381, बायवरापू राजू बनाम A.P. राज्य में उजागर किया गया है। और एनर. (2007) आईजे एससीसी 218 और हवा सिंह। v. हरियाणा राज्य। (2009) 3 एससीसी 411. "

25. उपर्युक्त निर्णयों का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होगा क्योंकि यह अभियुक्त-अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का इरादा नहीं था और मृत्यु बिना किसी पूर्वधारणा के अचानक लड़ाई में हुई थी और यह कार्य अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर तरीके से कार्य किए बिना आवेग की गर्मी में किया गया था।

26. इसलिए, निर्णय के पूर्वगामी भाग में चर्चा किए गए साक्ष्य और सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत नहीं आएगा, बल्कि यह आईपीसी की धारा 304 भाग-I के तहत आएगा। मामले के इस दृष्टिकोण से, हमारा विचार है कि यह मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आएगा क्योंकि यह घटना अचानक झगड़े के कारण जुनून की गर्मी में हुई थी। इसलिए, वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, अभियुक्त अपीलार्थी-गुलाब सिंह को आईपीसी की धारा 304 भाग-I के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

27. कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया।

28. ऊपर उल्लिखित वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, यह बिना किसी हिचकिचाहट के अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध आईपीसी की धारा 304-भाग I के तहत कवर किया जाएगा, न कि आईपीसी की धारा 302 के तहत। 'इस प्रकार, अपील की अनुमति पक्षकार द्वारा दी जाती है। नतीजतन, धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। हालाँकि, अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 304-भाग I के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।

29. ऊपर जो देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखते हुए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 302 से धारा 304 भाग-1 में संशोधित किया गया है। उसकी सजा को आजीवन कारावास से 10 साल के कारावास में बदल दिया गया है। अपीलार्थी '5,000/- के जुर्माने का भुगतान करेगा और इसके व्यतिक्रम में, उसे तीन महीने के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

30. परिणामस्वरूप, तत्काल अपील पक्षकार द्वारा अनुमत है, और तदनुसार निपटाया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)